

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 60/2022

रितेश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद, जाति महाजन, निवासी रायली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू राज0।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बुहाना बाबत नामान्तरकरण संख्या 1348  
ग्राम कुहाड़वास, तहसील बुहाना जमीन खसरा नंबर 782/66 आदेश दिनांक 26.12.2021

उपस्थिति:-

1. श्री अशोक कुमार लाम्बा , एडवोकेट ———अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट ———रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 30.12.2022


उक्त अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना बाबत नामान्तरकरण संख्या 1348 ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जमीन खसरा नंबर 782/60 आदेश दिनांक 26.12.2021 के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नंबर 782/60 रकबा 0.33 हैक्टर का खातेदार अनिल कुमार पुत्र प्यारेलाल दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 13.8.2021 को अनिल कुमार पुत्र प्यारेलाल ने अपने हिस्से की 0.33 हैक्टर भूमि में 2/5 भाग भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र के जरिये रितेश कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति महाजन के पक्ष में दिनांक 13.8.2021 को तस्दीकर करवा दिया। अपीलांट के द्वारा नामान्तरकरण हेतु पटववारी हल्का के पास आवेदन किया व जिसमें पटववारी हल्का के द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आवेदन को दर्ज रिपोर्ट कर रिपोर्ट में लिखा कि उक्त भूमि मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही, इसमें दुकान व मकान बने हुये हैं। उक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट पटववारी हल्का के द्वारा दिनांक 23.9.2021 को बनायी गई जबकि इसका बेचान दिनांक 13.8.2021 को हो गया था उक्त भूमि पर मकान व दुकानों का निर्माण बेचान करने के बाद किया गया। भू0 अ0 निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निर्माण कार्य है,



उक्त नामान्तरकरण संख्या 1348 दिनांक 26.12.2021 को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को ना ही किसी सुनवाई का अवसर दिया गया, केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं हुई है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1348 ग्राम कुहाडवास के विधि की अवहेलना कर पारित किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2021 को खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 1348 ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना जमीन खसरा नंबर 782/60 के नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का अदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- ग्राम कुहाडवास स्थित भूमि खसरा नंबर 782/60 रकबा 0.33 हैक्टर का खातेदार अनिल कुमार पुत्र प्यारेलाल दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 13.8.2021 को अनिल कुमार पुत्र प्यारेलाल ने अपने हिस्से की 0.33 हैक्टर भूमि में 2/5 भाग भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र के जरिये रितेश कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति महाजन के पक्ष में दिनांक 13.8.2021 को तस्दीकर करवा दिया। अपीलांट के द्वारा नामान्तरकरण हेतु पटवारी हल्का के पास आवेदन किया व जिसमें पटवारी हल्का के द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आवेदन को दर्ज रिपोर्ट कर रिपोर्ट में लिखा कि उक्त भूमि मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही, इसमें दुकान व मकान बने हुये हैं। उक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 23.9.2021 को बनायी गई जबकि इसका बेचान दिनांक 13.8.2021 को हो गया था उक्त भूमि पर मकान व दुकानों का निर्माण बेचान करने के बाद किया गया। भू0 अ0 निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निर्माण कार्य है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 1348 दिनांक 26.12.2021 को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को ना ही किसी सुनवाई का अवसर दिया गया, केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं हुई है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1348 ग्राम कुहाडवास के विधि की अवहेलना कर पारित किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2021 को खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 1347 ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना जमीन खसरा नंबर 781/60 के नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का अदेश दिया जावे।




दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही, भूमि पर मौके पर दुकान व मकान बने हुये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा नामांतरकरण संख्या 1348 ग्राम कुहाड़वास के संबंध में दिनांक 26.12.2021 को पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि—ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नंबर 782/60 रकबा 0.33 हैक्टर का खातेदार अनिल कुमार पुत्र प्यारेलाल दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 13.8.2021 को अनिल कुमार पुत्र प्यारेलाल ने अपने हिस्से की 0.33 हैक्टर भूमि में 2/5 भाग भूमि का बेचान जरिये विक्रय पत्र के जरिये रितेश कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद जाति महाजन के पक्ष में दिनांक 13.8.2021 को तस्दीकर करवा दिया। अपीलांट के द्वारा नामांतरकरण हेतु पटवारी हल्का के पास आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आवेदन को दर्ज कर रिपोर्ट में लिखा कि उक्त भूमि मौके पर कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही, इसमें दुकान व मकान बने हुये हैं। उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 23.9.2021 को बनायी गई जबकि इसका बेचान दिनांक 13.8.2021 को हो गया था उक्त भूमि पर मकान व दुकानों का निर्माण बेचान करने के बाद किया गया। जिस पर भू0 अ0 निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निर्माण कार्य है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 1348 दिनांक 26.12.2021 को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को ना ही किसी सुनवाई का अवसर दिया गया, केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का नामान्तरकरण निरस्त कर दिया।


मेरे द्वारा नामांतरकरण संख्या 1348 दिनांक 26.12.2021 ग्राम कुहाड़वास का अवलोकन किया गया। उक्त नामांतरकरण हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया गया है। तहसीलदार बुहाना द्वारा नामांतरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व ना तो स्वयं के द्वारा मौका देखा गया तथा ना ही अपीलांट प्रार्थी का पक्ष सुना गया। केवल मात्र हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया गया है। उक्त नामांतरकरण पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर तस्दीक किया जाना था। पंजीकृत दस्तावेज की स्थिति में हल्का पटवारी को मौका एवं कब्जे के संबंध में जांच कर रिपोर्ट करना एवं केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त करना कतई विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अगर मौके पर मकान व निर्माण है तो तहसीलदार को धारा 91 ए एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के प्रावधान किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

5/17

नामांतरकरण संख्या 1348 दिनांक 26.12.2021 वाके ग्राम कुहाड़वास के संबंध में तहसीलदार बुहाना का आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बुहाना को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में स्वयं मौका निरीक्षण कर, पंजीकृत दस्तावेज के मध्य नजर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलांट/प्रार्थी व अन्य पक्षकारान को धारा 135(2) एल.आर. एक्ट में सुना जाकर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

  
(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू